भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 243
दिनांक 21 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जनऔषधि केन्द्रों को बढ़ावा

243. श्री राजेनद्र धेड़्या गावितः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की लोगों के बीच जनऔषधि केन्द्रों को बढ़ावा देने की कोई योजना है क्योंकि इन बिक्री केन्द्रों में उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम है और यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी और निजी चिकित्सकों द्वारा दवाओं को उनके ब्रांडेड नामों के बजाय उनकी रासायनिक संरचना के अनुसार लिखने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का योग्य व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करके और बैंक ऋण प्रदान करके जनऔषधि केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेनेरिक दवाएं अधिक आसानी से उपलब्ध हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का जनऔषधि केन्द्रों से बिक्री के लिए और अधिक जेनेरिक दवाओं और उपकरणों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को बढ़ावा देने के लिए, औषध विभाग और योजना की कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय औषध चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), समय-समय पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/जिला प्रशासनों से योजना

के बारे में जागरूकता पैदा करने का अनुरोध करती है। पीएमबीआई प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा, आउटडोर प्रचार के साथ-साथ सोशल मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से भी योजना के बारे में जागरूकता फैलाता है। इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में अधिक प्रचार-प्रसार और जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष *7* मार्च को *जन औषधि दिवस* मनाया जाता है।

(ख): भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 1.5 में निहित किया गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को दवाओं को जेनेरिक नामों के साथ स्पष्ट रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगा कि दवा का एक तर्कसंगत नुस्का और उपयोग हो। डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, औषध विभाग समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सरकारी डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश देने का अनुरोध करता है।

(ग): दिनांक 31.03.2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। पीएमबीजेके खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार मासिक खरीदारी के 15% की दर से 5.00 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो प्रति माह 15,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए या महिला उद्यमी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और एससी और एसटी द्वारा खोले गए केंद्रों को 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(घ): एमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में वर्तमान में 1,800 दवाएं और 285 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। पीएमबीआई द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और टोकरी में नई दवाएं और सर्जिकल चीजें जोड़ी जाती हैं।

*****